

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

/स्वा0,राँची,दिनांक: 30.09.2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-102-होमियोपैथी-01-होमियोपैथी- औषधालय के अन्तर्गत कुल ₹ 47,81,426/- (सैंतालीस लाख इक्यासी हजार चार सौ छब्बीस) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणी में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online आवंटन के विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतिया	102 होमियोपैथी- 01-होमियोपैथी औषधालय	₹ 47,81,426/- (सैंतालीस लाख इक्यासी हजार चार सौ छब्बीस)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 तथा 1681/वि0 दिनांक 10.06.2015 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिले के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(ध्रुव प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि को जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी समानुपातिक रूप से उनके जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रों के लिए व्यय करेंगे।

13. क्रय संबंधी कार्य सभी नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

14. आयुष निदेशालय के द्वारा होमियोपैथिक औषधालयों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT - Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT - Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

15. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

- i) सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की होमियोपैथिक औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन की निकासी करेंगे।
- ii) प्रत्येक माह का वेतन विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
- iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- iv) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

16. होमियोपैथी औषधालयों के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में होमियोपैथी औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

17. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरुद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(ध्रुव प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

18. सभी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ होमियोपैथी औषधालयों का इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित करेंगे।

19. विगत वित्तीय वर्ष दवा भण्डार मद में उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी कोषागार को समर्पित करने के उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की निकासी की जाए।

20. दवा मद में आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-10/2023 47(7)ब/स्वा0,राँची,दिनांक- 30.09.2023
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-10/2023 47(7)ब/स्वा0,राँची,दिनांक- 30.09.2023
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक आयुष, झारखण्ड, राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-10/2023 47(7)ब/स्वा0,राँची,दिनांक- 30.09.2023
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(ध्रुव प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्र०	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	14000000	4781426	18781426
	कुल	14000000	4781426	18781426

आवंटन का सारांश

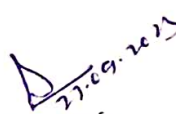
क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100410201000101	4781426
	कुल आवंटित राशि		4781426

कुल ₹ 47,81,426 /- (सैंतालीस लाख इक्यासी हजार चार सौ छब्बीस)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	वेतन	कुल
1	Chaibasa	700000	700000
2	Dhanbad	228668	228668
3	Dumka	620246	620246
4	Khunti	864000	864000
5	Lohardaga	596712	596712
6	Pakur	830000	830000
7	Sahebganj	75000	75000
8	Seraikela	866800	866800
	कुल	4781426	4781426

47(7)ब
30.09.2023


(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(ध्रुव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

द्वितीय वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 04 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां & 102 - होमियोपैथी & 01 - होमियोपैथी औषधालय
मॉग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100410201000101	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Singbhum West	SGHMED035	Nand Kishore Chaudhary	D.A.M.O.Chalbasa	₹7,00,000.00 (55359)	₹7,00,000.00
2	Dhanbad	DHNMED103	Dr. Kumkum	I/C Dist.Ayush Medical Off.Dhn	₹2,28,668.00 (55360)	₹2,28,668.00
3	Dumka	DMKMED080	Dr. Raj Kumar Prajapati	D.A.M.O.Dumka	₹6,20,246.00 (55361)	₹6,20,246.00
4	Khunti	KHNMEDL35	Dr. Chandra Shekhar Prasad	Inc.D.A.M.O.Khunti	₹8,64,000.00 (55362)	₹8,64,000.00
5	Lohardaga	LDGMED016	Dr.Saket Kumar	Distt Ayush M.O.Lohardaga	₹5,96,712.00 (55363)	₹5,96,712.00
6	Pakur	PKRMED035	Vipin Chandra Gupta	Dist. Ayush Medical Officer	₹8,30,000.00 (55364)	₹8,30,000.00
7	Sahebganj	SBJMED004	Alok Chandra Shrivastava	Dist. Ayush Med.Off.Sbg	₹75,000.00 (55365)	₹75,000.00
8	Saraikela	SKLMED036	Krishan Kumar	D.A. M.O. Saraikela-Kharsawan	₹8,66,800.00 (55366)	₹8,66,800.00

कुल आवंटित राशि :- ₹47,81,426.00 (सैतालीस लाख इक्क्यासी हजार चार सौ छब्बीस) रुपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

(ARUN KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

47 (7) व
30.09.2023